

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प. 18(18)नविवि/विविध/II/2021

जयपुर, दिनांक: 24 FEB 2022

आदेश

RGHS आर.जी.एच.एस. योजना के संबंध में वित्त(बीमा)विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:- **5(5)FD/Insurance/2020** दिनांक: 09.04.2021 के क्रम में सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार समस्त विकास प्राधिकरण, समस्त न्यास कार्यालय एवं राजस्थान आवासन मण्डल को निर्देशित किया जाता है कि:-

“ सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवानिवृत्ति जिस विकास प्राधिकरण, न्यास कार्यालय/संस्था/विभाग एवं राजस्थान आवासन मण्डल से हुई है तथा कार्मिक का पेंशन भुगतान भी संबंधित प्राधिकरण, न्यास कार्यालय/संस्था/विभाग एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए एक मुश्त राशि 61000/- (इकसठ हजार रुपये मात्र) जमा करवाए जाने के पश्चात् RGHS योजना के अन्तर्गत समस्त परिलाभों का वहन भी जीवन पर्यन्त संबंधित विकास प्राधिकरण, न्यास कार्यालय/संस्था/विभाग एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। ”

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. सचिव, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
5. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को पत्र सं:- डी-242 दिनांक 31.01.2022 के क्रम में।
6. सचिव समस्त न्यास कार्यालय/संस्था/विभाग।
7. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय